

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

नैतिकता, सत्यनिष्ठा व अभिवृत्ति

(भाग-2)



दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (*Distance Learning Programme*)

Code: MPM05



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

नैतिकता, सत्यनिष्ठा व अभिवृत्ति (भाग-2)



641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष : 011-47532596, 8750187501

टोल फ्री : 1800-121-6260

Web : www.drishtiiAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को “like” करें

www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

www.twitter.com/drishtiias

5.	अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएँ/मूल्य	5-31
5.1	अभिक्षमता : अवधारणा एवं विशेषताएँ	5
5.2	लोक सेवा : अवधारणा एवं महत्व	8
5.3	लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य	10
5.4	सत्यनिष्ठा	13
5.5	निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी	16
5.6	वस्तुनिष्ठता	18
5.7	लोक सेवा के प्रति समर्पण	19
5.8	समानुभूति	20
5.9	सहिष्णुता	22
5.10	अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना/करुणा	23
5.11	सिविल सेवाओं के लिये अन्य महत्वपूर्ण मूल्य	25
6.	सांवेगिक बुद्धि	32-44
6.1	सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा	32
6.2	सांवेगिक बुद्धि से संबंधित मॉडल	33
6.3	शासन/प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि की उपयोगिता एवं अनुप्रयोग	38
7.	भ्रष्टाचार	45-80
7.1	भ्रष्टाचार : प्रकार एवं कारण	47
7.2	भ्रष्टाचार के प्रभाव	50
7.3	भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय	51
7.4	भ्रष्टाचार निवारण में समाज, परिवार, सूचना तंत्र एवं व्हिसल ब्लोअर की भूमिका	69
7.5	भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा	74
7.6	भ्रष्टाचार का मापन एवं अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता	75
8.	पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय-वस्तु पर आधारित प्रकरणों का अध्ययन	81-121
9.	महत्वपूर्ण शब्दावली एवं उनमें अंतर	122-128

अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएँ/मूल्य (Aptitude and Foundation Ability/Values for Civil Services)

संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्रशासन में दक्षता के लिये शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। देश की शासन व्यवस्था की स्टील फ्रेम लोक सेवाएँ इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करती हैं, इसलिये लोक सेवाओं में कुछ अनिवार्य आधारभूत योग्यताओं के होने की अपेक्षा की जाती है। एक सिविल सेवक के सेवा काल में कई ऐसे मौके आते हैं जब उसे कठिन निर्णय लेने होते हैं और उसके निर्णय में थोड़ी-सी भी चूक कई व्यक्तियों के जीवन पर भारी पड़ सकती है। अच्छे शासन की नींव स्थिरता और मधुर संबंधों को सुनिश्चित करते हुए नैतिक गुणों पर रखी जानी चाहिये। सुशासन की स्थापना के लिये लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, सहिष्णुता, राजनीतिक तटस्थिता, वस्तुनिष्ठता, समानुभूति, वर्चित वर्गों के प्रति करुणा तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों का होना आवश्यक है। साथ ही उनमें अपने कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों के अनुरूप अभिक्षमता होना भी आवश्यक है। लोक सेवा में नैतिकता एवं तार्किकता के सभी मूल्यों का समावेश किया जाना आवश्यक है। हमारे सिविल सेवकों को संवेदनशील होना पड़ेगा ताकि वे जनता के दुःख-दर्द को समझ सकें और लोकतंत्र की बेहतरी में योगदान दें।

5.1 अभिक्षमता : अवधारणा एवं विशेषताएँ (Aptitude : Concept and Characteristics)

अभिक्षमता से आशय व्यक्ति की उस तत्परता, रुझान या क्षमता से है जो किसी पद एवं उसके कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु आवश्यक है जिनका विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा संभव है तथा समयानुकूल सुधार की संभावना भी उपलब्ध रहती है। अभिक्षमता कोई एक गुण नहीं है बल्कि एकाधिक गुणों का सम्मिलित संयोजन है। यह मानव क्षमता का एक महत्वपूर्ण अंग है।

फ्रीमैन के अनुसार, “अभिक्षमता का तात्पर्य गुणों तथा विशेषताओं के एक ऐसे संयोग से होता है जिससे विशिष्ट, ज्ञात तथा संगठित अनुक्रियाओं के कौशल जैसे— किसी भाषा को बोलने की क्षमता, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता आदि का पता लगाया जा सकता है।” अभिक्षमता को अभिरुचि भी कहा जाता है।

बिंधम के अनुसार, “अभिक्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात् उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है।” अभिक्षमता को अभिरुचि भी कहा जाता है।

अभिक्षमता क्या है? (What is aptitude?)

अभिक्षमता किसी व्यक्ति की विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि अगर उसे उचित वातावरण तथा प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिये आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है? यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल को सीखने की अथवा ज्ञानार्जन की जन्मजात अथवा अर्जित क्षमता है। आमतौर पर अभिक्षमताएँ जन्मजात होती हैं लेकिन वे अर्जित भी हो सकती हैं। अभिक्षमता बुद्धिमत्ता (intelligence), ज्ञान (knowledge), समझ (understanding), रुचि (Interest) व कौशल (skills) से भिन्न है।

अभिक्षमता की विशेषताएँ (Characteristics of aptitude)

सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिंधम के अनुसार अभिक्षमता की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- व्यक्ति की अभिक्षमता वर्तमान गुणों का वह समुच्चय है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है।
- यह किसी वस्तु का नाम न होकर अमूर्त संज्ञा है। चूँकि यह व्यक्ति का अंग समझी जाती है, इसलिये यह व्यक्ति के गुण या विशेषता की ओर संकेत करती है।

- लोक सेवकों को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा तथा ईमानदारीपूर्वक करना चाहिये।
- प्रत्येक लोक सेवक को अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करना चाहिये।
- लोक सेवकों को अपने नियंत्रण के अधीन शासकीय सेवकों की सत्यानिष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता सुनिश्चित करने के लिये समस्त संभव उपाय करना चाहिये।
- प्रत्येक लोक सेवकों को पदीय कर्तव्यों के पालन या प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विवेकानुसार सर्वोत्तम कार्य करना चाहिये।
- लोक सेवकों को अपने पद के प्रभाव का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रयोग अपने परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलाने में नहीं करना चाहिये।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि लोक सेवक का दायित्व केवल तथ्यों के आधार पर कार्यवाही कर देना या निर्णय लेना भर नहीं है, बल्कि उनमें नैतिक मूल्यों का समावेशन और समाज में नैतिक मूल्यों का संरक्षण करना भी उनकी जिम्मेदारी है।

“आदर्श प्रशासनिक अपेक्षाएँ लोक सेवा के प्रति समर्पण की अभिक्षमता सुनिश्चित करती है।”

सामाजिक न्याय की प्राप्ति तथा प्रशासन में दक्षता के लिये शासन व्यवस्था में आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था की अपेक्षा करना अनिवार्य होता है। इस संदर्भ में शासन में ईमानदारी की उपस्थिति के लिये प्रभावी कानून, नियम और विनियम का होना आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि इनका अनुपालन प्रभावी तरीके से कराया जाए। दूसरे शब्दों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सत्यानिष्ठा, ईमानदारी आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था के मजबूत आधार हैं।

उपरोक्त कथन के संदर्भ में अगर किसी सिविल सेवक में लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना है तो उसमें निम्न लक्षण दिखाई देंगे, जैसे—

- दिए गए कार्य को 9 से 6 बजे की नौकरी न समझना बल्कि ज़रूरत होने पर उत्साहपूर्वक उसके पहले और बाद में भी काम करना।
- वंचित वर्गों की सहायता करने में गहरा संतोष महसूस करना।
- अपने अधिकारों का प्रयोग इस तरह करना कि ज्यादा-से-ज्यादा संसाधन उन वर्गों पर खर्च हो, जिन्हें उनकी अधिकतम ज़रूरत हो।
- यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवाएँ लेने के लिये औपचारिकताएँ पूरी नहीं कर पा रहा है तो आगे बढ़कर उसकी सहायता करना। अगर अधिकार क्षेत्र में शामिल हो तो औपचारिकताओं में ढील दे देना अर्थात् ज्यादा ध्यान नियमों पर नहीं सकारात्मक परिणामों पर देना।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आदर्श प्रशासनिक अपेक्षाएँ लोक सेवा के प्रति समर्पण की अभिक्षमता सुनिश्चित करती हैं, क्योंकि एक लोक-कल्याणकारी राज्य एवं सुशासन की स्थापना के लिये सेवकों में जनसेवा के प्रति समर्पण की भावना होना अत्यंत आवश्यक है।

परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

- सुशासन या लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना के लिये लोक सेवकों में सत्यानिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, सहिष्णुता, राजनीतिक तटस्थिता, वस्तुनिष्ठता, समानुभूति, अशक्त वर्गों के प्रति करुणा तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों का होना आवश्यक है।
- **नैतिक शासन:** यह कोई निश्चित अवधारणा न होकर एक सामान्य शब्दावली है जिसका भाव है कि शासन तथा प्रशासन को सभी स्तरों पर नैतिक आचरण करना चाहिये। यह काफी हद तक सुशासन या गुड गवर्नेंस के निकट है।
- लोक सेवा उन सभी व्यक्तियों के कार्य समूह से है जो सरकारी नियोजन के तहत कार्य करते हैं। इसके व्यापक अर्थ में सैन्य एवं असैन्य सभी कर्मचारी सम्मिलित होते हैं।
- लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है।
- वीरपा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने वर्ष 2007 में अपनी चौथी रिपोर्ट—‘शासन में नैतिकता’ (Ethics in Governance) प्रस्तुत की।

- वर्ष 2007 में पब्लिक सर्विस बिल में लोक सेवकों के लिये नीतिशास्त्रीय मूल्यों को सम्मिलित किया गया।
- 21 अप्रैल को वर्ष 2006 से ‘सिविल सेवा दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
- लोक सेवा के बुनियादी या आधारभूत मूल्य वे हैं जो लोक सेवा के आदर्शों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, जैसे—सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, समर्पण आदि।
- भारत में लोक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा एवं वचनबद्धता का पालन है।
- यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 1994 में लोक सेवा से संबंधित पदों पर आसीन व्यक्तियों के नैतिक मानक के निर्धारण हेतु नोलन समिति द्वारा सुझाव दिये गए। इनमें निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, नेतृत्व को सम्मिलित किया गया है।
- लोक सेवकों में मूल्यों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये ही आचार संहिता एवं आचरण संहिता बनाने की अनुशंसा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में की गई है।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिये)

(a) लोक सेवा में ‘निष्पक्षता’ का अर्थ समझाइये।	M.P.P.C.S. (Mains) 2018	(f) लोक सेवा के प्रति समर्पण की धारणा को स्पष्ट कीजिये।	M.P.P.C.S. (Mains) 2014
(b) सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं?	M.P.P.C.S. (Mains) 2018	(g) सहिष्णुता एवं अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना का क्या अर्थ है?	M.P.P.C.S. (Mains) 2014
(c) लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व बताइये।	M.P.P.C.S. (Mains) 2016	(h) लोक सेवा	
(d) समानुभूति से क्या तात्पर्य है?	M.P.P.C.S. (Mains) 2016	(i) अभिक्षमता	
(e) लोक सेवा में अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना की क्या आवश्यकता है?	M.P.P.C.S. (Mains) 2015	(j) वस्तुनिष्ठता का महत्व क्या है?	
		(k) निष्पक्षता एवं असमर्थकवादिता क्या है?	

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिये)

1. लोक सेवा के आधारभूत मूल्य के रूप में समानुभूति के महत्व पर प्रकाश डालिये। M.P.P.C.S. (Mains) 2018
2. “मैं सोया और पाया कि जीवन सौंदर्य था। मैं जागा और पाया कि जीवन एक कर्तव्य था।” ई.एस. हूपर की इन पंक्तियों का लोक सेवकों के कर्तव्यपालन के परिप्रेक्ष्य में निरूपण कीजिये। M.P.P.C.S. (Mains) 2018
3. “आदर्श प्रशासनिक अपेक्षाएँ लोक सेवा के प्रति समर्पण की अभिक्षमता सुनिश्चित करती हैं।” इस कथन पर टिप्पणी लिखिये। M.P.P.C.S. (Mains) 2018
4. प्रशासन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता बढ़ाने के उपाय बताइये। M.P.P.C.S. (Mains) 2017
5. प्रशासकीय अधिकारियों के प्रशिक्षण में नैतिकता प्रशिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा कीजिये। M.P.P.C.S. (Mains) 2017
6. समानुभूति में सक्रिय श्रवण की भूमिका पर चर्चा कीजिये। M.P.P.C.S. (Mains) 2017
7. लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताओं में निष्पक्षता तथा असमर्थकवादिता क्या है? M.P.P.C.S. (Mains) 2017
8. लोक सेवा तटस्थता एक परिकल्पना (फिक्शन) है। कोई सोचने वाला व्यक्ति कैसे तटस्थ हो सकता है? टिप्पणी कीजिये। M.P.P.C.S. (Mains) 2016
9. लोक सेवा के प्रति समर्पण की व्याख्या कीजिये। M.P.P.C.S. (Mains) 2015
10. लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताओं में निष्पक्षता क्या है? M.P.P.C.S. (Mains) 2015
11. लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताओं और मूल्यों का परीक्षण कीजिये। M.P.P.C.S. (Mains) 2014
12. निष्पक्षता एवं असमर्थकवादिता तथा वस्तुनिष्ठता को समझाइये। M.P.P.C.S. (Mains) 2014
13. अभिक्षमता का लोक सेवा में क्या महत्व है?

भारत जैसे बहुलतावादी देश में सांवेगिक बुद्धि से युक्त सिविल सेवकों का होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में सार्वजनिक सेवाओं एवं प्रशासन में तनाव का स्तर काफी ऊँचा है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती अपेक्षाएँ, राजनीतिक बाधाएँ, मीडिया, सिविल सोसायटी के आंदोलन आदि चौतरफा और परस्पर विरोधी स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं। इन जटिल परिस्थितियों में वही व्यक्ति सफल हो पाता है, जिसमें भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता अधिक होती है। स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाले और व्यवहार में लचीलापन रखने वाले सिविल सेवक ही प्रशासन के उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमें किसी समस्या को सुलझाने के लिये संज्ञानात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है, परंतु संज्ञानात्मक बुद्धि हमारे दैनिक जीवन के एक छोटे से अनुपात का ही प्रतिनिधित्व करती है। अतः सांवेगिक बुद्धि का महत्व एवं आवश्यकता इसकी तुलना में कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिये प्रशासनिक अधिकारियों से सांवेगिक बुद्धि की अपेक्षा की जाती है।

6.1 सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा (*Concept of Emotional Intelligence*)

अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने तथा उनका समुचित प्रबंधन करने की क्षमता को सांवेगिक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर, पारस्परिक संबंधों को विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता सांवेगिक बुद्धि कहलाती है। यह मूल रूप से अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने तथा दूसरे के मनोभावों को समझकर उन पर नियंत्रण करने की क्षमता है। सांवेगिक बुद्धि को भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक प्रज्ञता भी कहा जाता है।

प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। ऐसी ही भावनाओं को व्यक्त करने एवं उन्हें प्रबंधित करने का उनका तरीका भी अलग-अलग होता है। अपनी भावनाओं या संवेगों को समझने की क्षमता और किस प्रकार से आपके संवेग दूसरों को प्रभावित करते हैं, की समझ से अच्छे संबंधों का निर्माण हो सकता है। इसके अंतर्गत दूसरों के प्रति आपकी धारणा भी सम्मिलित होती है। एक कुशल लोक सेवक कार्यकुशलता, दक्षता एंवं कार्य की सफलता के लिये संवेगात्मक प्रबंधन का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करता है।

अवधारणा का विकास (*Development of concept*)

डार्विन ने माना था कि व्यक्ति की उत्तरजीविता व अनुकूलन में इस बात का भी महत्व है कि वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसे तथा कितनी करता है। उसी शताब्दी (19वीं) में जब हीगल जैसे बुद्धिजीवी, बुद्धि तथा अमूर्तकरण को मनुष्य की सर्वोच्च क्षमता बता रहे थे, अस्तित्वादी विचारक सोरेन कीर्केगार्ड ने कहा था कि मनुष्य की पहचान उसकी भावनाओं से होनी चाहिये न कि बुद्धि से। उस समय हीगल के सम्मुख कीर्केगार्ड की बात को महत्व नहीं दिया गया।

1920 में थोर्नडाइक ने बुद्धिमत्ता के प्रकारों पर विचार करते हुए सामाजिक बुद्धिमत्ता या सोशल इंटेलिजेंस की धारणा दी जिसका अर्थ है सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिये उचित विकल्प चुनने की क्षमता। वर्तमान में सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत इस विशेषता को भी शामिल किया जाता है।

1940 में डेविड वेसलर ने लिखा कि व्यक्ति की सफलताओं में सिर्फ बौद्धिक पक्ष शामिल नहीं है बल्कि भावनात्मक पक्षों को महत्व दिये जाने की भी ज़रूरत है। 1950 के दशक में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मनुष्य के भावनात्मक पक्षों के महत्व को रेखांकित किया।

1983 में हॉवर्ड गार्डनर ने बहुल बुद्धिमत्ता सिद्धांत (Theory of Multiple Intelligences) प्रतिपादित किया जिसमें बुद्धिमत्ता के 8 में से दो प्रकार ऐसे थे जिनका गहरा संबंध भावनात्मक बुद्धिमत्ता या सांवेगिक बुद्धि से माना जाता है। इसमें पहली क्षमता थी अंतर-वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत दूसरों के इरादों, मनःस्थितियों, अनुभूतियों, स्वभावों, इच्छाओं तथा

भ्रष्टाचार को भारत की एक गंभीर एवं जटिल समस्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं इसलिये भारत में अन्य देशों की तुलना में अधिक गंभीर एवं व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार पाया जाता है। देश के विकास में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बाधा है। लोक-कल्याणकारी राज्य एवं संविधान में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये भ्रष्टाचार का उन्मूलन अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान भारत में भ्रष्टाचार एक सामाजिक मूल्य के रूप में स्वीकृत हो गया है, जहाँ राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, उद्योगपति और अपराधियों की गठजोड़ से ऊपर से नीचे तक चलने वाला भ्रष्टाचार का दुश्चक्र समाज के संसाधनों का दुरुपयोग करता है। जो धन सार्वजनिक कार्य में लगना चाहिये वह भ्रष्टाचारियों की भेट चढ़ जाता है। भारत में भ्रष्टाचार का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। नित नए सामने आते भ्रष्टाचार के मामले भारतीय लोकतंत्र को भी गंभीर हानि पहुँचा रहे हैं।

आजाद हिंदुस्तान की तकदीर में भ्रष्टाचार का दीमक कुछ इस तरह समाया है कि आज जीवन, समाज और सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बना जो सुरक्षित हो। संसद से सड़क तक, मंदिर से दफ्तर तक तथा आम आदमी से खासोखास तक जिसको जहाँ मिलता है, लूटने में लगा है। 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, 2300 करोड़ रुपए का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 900 करोड़ रुपए का चारा घोटाला, 400 करोड़ रुपए का आई.पी.एल. घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला, बोफोर्स तोप घोटाला, रक्षा खरीद घोटाला, ताबूत घोटाला आदि तथा विदेशी बैंकों में पड़ा 120 लाख करोड़ रुपए का काला धन क्या साबित करता है? जनप्रतिनिधि सरकारी ठेके के नाम पर ठगता है, न्यायाधीश गलत न्याय के नाम पर लूटता है, पत्रकार खबर दबाने तथा झूठे प्रचार के नाम पर मालामाल होता है तो सरकारी बाबू, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, कल्कि और चपरासी दफ्तर में लोगों से घूस लेते हैं। शिक्षाविद् शिक्षा बेचने पर उतारू है, पुजारी मंदिर की आस्था और भगवान बेचने पर उतारू है, डॉक्टर इनसान बेचने पर उतारू है, तो न्यायाधीश ईमान बेचने पर उतारू है। कोई दहेज़ से कमाता है तो कोई चापलूसी और दलाली से। भ्रष्टाचार के इस दौर में धनवान इतराता है, बुद्धिजीवी खामोश है, मीडिया बिका हुआ है तथा आम जनता त्रस्त है।

भ्रष्टाचार की उपस्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिये स्वस्थता का लक्षण नहीं है। वर्तमान समय की अनेक समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार को माना जा सकता है। भ्रष्टाचार केवल नैतिकता पर प्रश्न नहीं है बल्कि भारत जैसे विकासशील देश की आर्थिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है इसलिये भारतीय लोकतंत्र के सशक्तीकरण, आर्थिक उन्नति, चहुँमुखी विकास एवं लोक-कल्याणकारी शासन की स्थापना के लिये भ्रष्टाचार उन्मूलन की अत्यंत आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार अपने स्वरूप में इतना अधिक व्यापक है कि उसकी कोई एक स्पष्ट, सटीक एवं सुनिश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है। फिर भी इसे सार्वजनिक धन के व्यक्तिगत लाभ के लिये प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हालाँकि यह परिभाषा भी पूर्णतः दोषमुक्त नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार व प्रशासनिक भ्रष्टाचार के रूप में विभाजित किया जा सकता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार मूलतः नीति निर्माण से जुड़ा है। इसके अंतर्गत नीतियों, कानूनों, नियमों, विनियमों में इस तरह का परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाती है कि ये किसी समूह विशेष या व्यक्ति विशेष को अधिक लाभ पहुँचाए। नौकरशाही से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार नीतियों को लागू करने से संबंधित है। रिश्वत, भाइ-भतीजावाद, घोटाले, धोखाधड़ी भ्रष्टाचार के सर्वाधिक प्रचलित रूप हैं।

भ्रष्टाचार नैतिकता की विफलता का एक महत्वपूर्ण आविर्भाव है। अंग्रेजी का 'corrupt' शब्द लैटिन शब्द 'corruptus' से लिया गया है, जिसका अर्थ है— 'तोड़ना या नष्ट करना'। भ्रष्टाचार भ्रष्ट (बिगड़ा हुआ) + आचरण (व्यवहार) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा बिगड़ा हुआ आचरण करना जिसकी अपेक्षा लोकसेवकों से नहीं की जाती। भ्रष्टाचार की परिभाषा भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 161 में दी गई है तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अंतर्गत ऐसी गतिविधियों की सूची दी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अनुसार भ्रष्टाचार आपराधिक कृत्य है। इस अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार में निम्नलिखित पाँच तरह के कार्य आते हैं—

अध्याय
8

पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय-वस्तु पर आधारित प्रकरणों का अध्ययन (Case Study Based on Subject Matters Covered in the Syllabus)

केस स्टडी इस प्रश्नपत्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम का अनुप्रयुक्त (Applied) एवं व्यावहारिक अभ्यास (Practical practice) रूप है। इसके अंतर्गत किसी भी स्थिति, तथ्य या घटना की भली-भाँति सूक्ष्मता से जाँच-पड़ताल एवं विश्लेषण करने के साथ स्वयं समाधान खोजने का सक्रिय प्रयास किया जाता है। यह समस्या आधारित सीखना (Problem based learning) एवं निर्णयन प्रक्रिया से संबंधित है। यह अध्याय पाठ्यक्रम की अन्य इकाइयों से भिन्न पूरे पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु का एकीकृत रूप है। केस स्टडी से संबंधित प्रश्न हल करने के लिये आवश्यक है कि पिछली सात इकाइयों की अध्ययन सामग्री आपके विचार प्रक्रिया एवं समाधान दृष्टिकोण का भाग बन जाए।

केस स्टडी के उद्देश्य (*Objectives of case study*)

- अध्यर्थी स्वतंत्रता के साथ स्वयं ही सृजनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकेंगे।
- पूरे घटनाक्रम या स्थिति में नवीनतम तथ्यों को जान सकेंगे।
- वे समस्या समाधान (Problem base learning) हेतु सक्रिय हो सकेंगे।
- व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं सामाजिक संबंधों को उत्तम ढंग से डील करने की क्षमता का विकास होगा।
- स्वयं अपने अनुभव एवं आकलन से सीखने, निर्णय करने एवं नैतिकता का पालन करने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।
- अध्यर्थियों में अभिप्रेरण एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास संभव हो सकेगा।
- अध्यर्थी भावी उत्तरदायित्वों के संदर्भ में अपनी सचेतन अवस्था एवं निर्णयन क्षमता को परख सकेंगे।

इस प्रश्नपत्र में अच्छे अंक लाने का सबसे बेहतर तरीका है इसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित बातों को अपने जीवन एवं सामाजिक-व्यावसायिक व्यवहार को जोड़कर विश्लेषण करना। व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में होने वाले निर्णयों को नैतिक दृष्टि से उचित एवं अनुचित होने को परखना जरूरी है। यदि निर्णयों में औचित्य का अभाव है या वे अनैतिक हैं तो निर्णय को प्रभावित करने वाली प्रत्येक परिस्थिति पर विचार किया जाना चाहिये। ऐसे कौन से कारक हैं जो व्यक्तियों को अनैतिक होने एवं ऐसे निर्णय लेने के लिये बाध्य करते हैं और स्वयं आप ऐसे दबावों से किस हद तक मुक्त हैं? नीतिगत आधार पर निर्णय करने एवं व्यावसायिक पक्षों के साथ समन्वय करते हुए उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिये केस स्टडी पर अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

केस स्टडी को हल करते हुए आपको नैतिक, संवैधानिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक पक्षों के आधार पर निर्णयन एवं विश्लेषण करना होगा।

केस स्टडी को हल करने की रणनीति (*Strategy to solve case studies*)

केस स्टडी को हल करने के दौरान निम्नलिखित रणनीति अपनाई जानी चाहिये-

- घटना एवं कार्य की परिस्थितियों एवं प्रभाव के प्रत्येक पक्ष पर विचार करना चाहिये। यथा-
 - कार्य किया जा चुका है, किया जा रहा है या बाद में होने वाला है। कार्य किया जा रहा है या होने वाला है तो कार्य को रोकने के उपाय एवं नैतिक दृष्टि से विश्लेषण करने तथा सुधारने का उपाय करना होगा। यदि कोई घटना घट चुकी है तो उसके प्रभाव प्रबंधन को प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिये।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली एवं उनमें अंतर (Important Terminology and Differences Between Them)


- अभिवृत्ति (Attitude):** अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ व्यक्ति में किसी मनोवैज्ञानिक विषय (तटस्थ व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव) के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक अस्था भाव की उपस्थिति है। दूसरे शब्दों में किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। सामान्य तौर पर अभिवृत्तियाँ व्यक्तिगत अनुभव एवं समाज के साथ अंतर्क्रिया द्वारा सीखी जाती हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तीनों संघटकों की अपेक्षाकृत स्थायी मानसिकता है।
- अभिरुचि (Interest):** अभिरुचि किसी व्यक्ति की विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि यदि उसे उचित वातावरण एवं प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिये आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है। यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल सीखने या ज्ञानार्जन की जन्मजात अथवा अर्जित क्षमता है। सामान्य तौर पर अभिरुचियाँ जन्मजात होती हैं लेकिन इन्हें उचित वातावरण एवं प्रशिक्षण से अर्जित भी किया जा सकता है।
- मूल्य (Value):** मूल्य का अर्थ सर्वथा गहरे नैतिक आदर्शों से होता है जो समाज की दृष्टि में उचित, न्यायपूर्ण एवं न्यूनतम मानवीय गुण हैं, उन्हें मूल्य कहा जाता है। उदाहरण के लिये-शांति, न्याय, सहिष्णुता, आनंद, ईमानदारी, समयबद्धता, समर्पण, दया, करुणा आदि प्रसिद्ध आदर्श मूल्य हैं। मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है कि वे सामाजिक जीवन को संभव व श्रेष्ठ बनाने के लिये आवश्यक हैं। नीतिशास्त्र में जो उचित है वह मूल्ययुक्त तथा जो अनुचित है वह मूल्यहीन कहलाता है।
- अंतःकरण की आवाज़ (Voice of sense):** अंतःकरण की आवाज़ से तात्पर्य उस आंतरिक प्रेरणा से है, जो हमारे किसी व्यवहार के नैतिक या अनैतिक होने को बताता है। अंतःकरण की आवाज़ सत्य एवं पवित्र होती है तथा यह अधिकांशतः नैतिक निर्णय लेने के लिये प्रेरित करती है। चूँकि मनुष्य की अंतरात्मा बाह्य दबावों व परिस्थितियों से निर्देशित नहीं होती, इसलिये यह किसी कृत्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय अधिक श्रेष्ठता से कर पाती है। सार रूप में कहें तो भौतिक लाभ-हानि, सांसारिक अर्थों से परे नैतिकता-अनैतिकता की जो आवाज़ मन के अंदर से आती है वही अंतःकरण की आवाज़ है। उदाहरण के लिये जब कोई चोरी कर रहा होता है और उसे कोई नहीं देख रहा होता है, तब भी अंतःकरण की आवाज़ उसे यह बताती है कि वह गलत कर रहा है।
- विवेक का संकट (Crisis of Discretion):** ‘विवेक का संकट’ से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? अर्थात् सही के रूप में किसी एक पक्ष को चुनना संभव नहीं हो पाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विवेक का संकट उस स्थिति को कहते हैं जब अंतरात्मा दो परस्पर विरोधी मूल्यों या विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में ठोस निर्णय न दे सके। यह उस नैतिक दुविधा को दर्शाता है, जब किसी एक पक्ष में निर्णय लेते समय दूसरे पक्ष के साथ अनैतिक हो जाने का डर हो।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence):** भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं तथा अनुभूतियों को पहचानता है, उनमें अंतर करता है तथा इस सूचना का प्रयोग अपने चिंतन तथा क्रियाओं को निर्देशित करने के लिये करता है। दूसरे शब्दों में अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर, पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से, प्रबंधन करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है।
- प्रयोजनवाद (Teleologism):** प्रयोजनवाद के अनुसार किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय उस कार्य के परिणाम से तय होगा, न कि निश्चित नैतिक नियमों से। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि नैतिक नियमों पर यदि कार्य का परिणाम भारी है तो वह कर्म सापेक्षतः नैतिक ही माना जाएगा।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com



641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456